Statement-I

STATE : GUJARAT

I. JAWAHAR ROJGAR YOJANA:

Year	1992-93	1993-94	1994-95
Targets (lakh mandays)	236.73	211.40	177.45
Achievements (lakh mandays)	235.03	210.55	142.41
Expenditure (Rs. in lakhs)	8327.77	10533.51	8161.85 (upto Feb., 1995)

II. INTENSIFIED—JRY:

Year	1992-93	1993-94	1994-95
Targets (lakh mandays)	—	No targets fixed	63.04
Achievements (lakh mandays)	—	22.09	51.21
Expenditure (Rs. in lakhs)	—	1182.44	2650.08 (upto Feb., 95)

Satement-II

Main findings of the Quick Study of JRY conducted by Programme Evaluation Organisation (PEO) of the Planning Commission in 1992.

— The share of SCs/STs in employment generation was more than 50%

— the share of women in the employment generation was only 22-25% at the district level and 15-18% at the Village Panchayat level.

— The Yojana did not provide employment to the extent expected as an average number of days a person got employment was 11.44 days during 1989-90, 15.68 days in 1990-91 and 12.8 days during 1991-92 (upto Sep., 1991).

— Adequate attendtion was not given to the maintenance of assets.

— Some of the Village Panchayats did not utilise the funds provided to them.

— 89%of the selected beneficiaries expressed that assets created were useful.

The Contractors were also engaged by some of the Gram Panchayats for execution of some works.

Consultation with NIRD in Formulation of Foreign Assistance Schemes

4842. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether National Institute of Rural Development (NIRD) is consulted in formulating foreign assistance schemes;

(b) in what situations the NIRD is consulted; and

(c) how often NIRD has been consulted in recent times by Government for advice and suggestions and opinions in foreign assistance matters?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) No, Sir. There is no proposal for formulating foreign assistance scheme. Hence question of consulting NIRD does not arise.

(b) and (c) Does not arise.

Storage of Drinking Water in States

4843. DR. BAPU KALDATE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that shortage of drinking water is being faced in many States of the country;

(b) if so, what steps Government have taken to ease the situation;

(c) the States mainly affected;

(d) the number of villages provided with clean drinking water facilities during the last three years; and

(e) by when all the remaining villages would be covered for providing drinking water?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTAMBHAI H. PATEL): (a) No such report has been received.

(b) and (c) Do not arise.

(d) The following villages/habitations have been provided with safe drinking water during the last three years:

1992-93	34360
1993-94	41488
1994-95	63984 (Provisionals)

(e) All the remaining villages are expected to be provided with safe drinking water by the end of Eighth Five Year Plan.

बंजर भूमि के विकास के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा चुने गए जिले

4844. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितने जिलों का बंजर भूमि के विकास हेतु राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा चयन किया गया है;

(ख) उत्तर प्रदेश में कितने जिलों का बंजर भूमि विकास हेतु चयन किया गया है;

(ग) क्या सरकार बंजर भूमि का विकास करने के लिए किसी ठोस योजना पर विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (परती भूमि विकास विभाग) (कर्नल राम सिंह): (क) यद्यपि देश के सभी जिले राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता पाने के पात्र हैं, फिर भी राष्ट्रीय बंजर भूमि चयन कार्यक्रम के अन्तर्गत 15% से अधिक बंजर भूमि क्षेत्र वाले 147 चयनित जिलों में गैर वन क्षेत्र वाली बंजर भूमि के विकास पर विशेष बल दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय बंजर भूमि चयन कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि के विकास के प्रयोजन हेतु 24 जिलों का चयन किया गया है, जिनमें बंजर भूमि विकास पर विशेष बल दिया जाएगा।

(ग) व (घ) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड इस समय निम्नलिखित पांच योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:—

(1) समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना
(2) अनुदान सहायता
(3) प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण
(4) निवेश प्रोत्साहन योजना
(5) बंजर भूमि विकास कार्यदल

इन योजनाओं की विस्तृत विशिष्टतायें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

1. समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना स्कीम

योजना का उद्देश्य राज्यों में प्राद्योगिक परियोजनाएं शुरू करना है जिनका आशय ग्राम/माइक्रो वाटरशैड योजनाओं के आधार पर समेकित ढंग से भूमि प्रबन्ध तथा बंजर भूमि का विकास करना है योजना का उद्देश्य सभी चरणों में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना भी है, जिसे समान और सतत लाभ देने के लिए और ऐसी परियोजनाओं से मिलने वाले भोगाधिकार हेतु रूपात्मकता प्रदान करके सुनिश्चित किया जाता है।

2. अनुदान सहायता योजना:

अनुदान सहायता योजना के अन्तर्गत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वनरोपण तथा बंजर भूमि विकास कार्य को बढ़ावा देने के लिए पंजीकृत स्वयंसेवी एजेंसियों सहकारी समितियों, महिला मंडलों, युवा मंडलों तथा इसी तरह के अन्य संगठनों को 100% केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इन कार्यों में छोटे कार्यक्रमों जैसे वृक्षारोपण, भूमि तथा नमी संरक्षण, जनजागृति, प्रशिक्षण एवं विस्तार, संरक्षण हेतु लोगों का संगठन, भोगाधिकारों आदि का रख-रखाव एवं बंटवारे का वास्तविक कार्यान्वयन शामिल होगा।

3. प्रद्योगिकी विकास प्रशिक्षण एवं विस्तार योजना:

यह योजना फरवरी 1994 में अनुमोदित की गई थी तथा 1994-95 से लागू हुई। योजना के अन्तर्गत विशेष रूप से निम्नलिखित के संबंध में नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।

(क) नीम को मुख्य वानकीय किस्म मानकर कृषि वानकी मांडलों को बढ़ावा देना।